निगरानी 276-I-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(52)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–नरसिंहपुर

सत्येन्द्र जैन पुत्र श्री अमीर चन्द्र जैन
निवासी मकान नं. 59 शहपुरा भटौनी
तहसील शहपुरा जिला – नरसिंहपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, नरसिंहपुर

.... अनावेदक

2.2.15

2-2-15

(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला नरसिंहपुर

प्रकरण कमांक निगरानी 276–एक / 15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/5/15	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा व्यक्त किया गया कि उनके दादा भईयालाल का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित था किन्तु वर्तमान में भूमि पर आवेदक के पूर्वजों का नाम दर्ज नहीं है। आवेदक द्वारा उनके दादा का नाम राजस्व अभिलेखों में काटे जाने के समय से आज दिनांक तक व्यतीत हो चुके वर्षो में कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इस संबंध में कोई ब्यौरा अथवा साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है । लगभग दो पीढी के व्यतीत हो जाने के उपरांत अब प्रकरण को दायर किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं होने से इसी स्तर पर अग्राह्य किया जाता है । (हस्ताक्षर) **प्रशासकीय सदस्य**	